विकास कर जमा करवाने के निर्देश

झुंझुनूं, 21 मार्च : नगर परिषद् आयुक्त विनयपाल सिंह ने बताया कि शहर की नगरीय विकास कर की प्रभावी वसूली करने के लिए शहर में बकायादारों के विरूद्व नगर परिषद् द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों, संस्थाओं, स्कूल, अस्पताल, कॉम्पलेक्स, मैरिज गार्डन, व्यवसायिक प्रतिस्ठानों के वर्षो से बकाया नगरीय विकास कर है, जिसे वसूलने के लिए संबंधितों के खिलाफ ठोल नगाडे बजाए जाएंगे एवं बकायेदारों के नाम शहर के मुख्य स्थानों पर चस्पा किये जायेगें फिर भी अगर शुल्क नहीं जमा करवाते हैं, तो उनके खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत संबंधित सम्पति को कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी।

———————